न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2020(37/2014) नामान्तरकरण अपील

1. सरदार सिंह पुत्र सुन्दरलाल गुर्जर निवासी ग्राम रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
2. तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
3. राजेश पुत्र हटट्या
4. रामसिंह पुत्र हटट्या
5. चन्दर पुत्र जौहरया
   जाति गुर्जर निवासी रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 17.06.1975 ग्राम रेटा तहसील सिकराय

उपस्थिति :–: श्री राजाराम गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 31.01.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 389, 385, 181, 497/1 कुल किता 4 कुल रकबा 17 बीघा वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित है। जो कि सिवायचक लगानी दर्ज थी। जिस पर कोई आबादी नहीं थी। वर्तमान में भी कोई आबादी नहीं है तथा मौके पर कृषि भूमि है जिसमें होकर आम रास्ता मौके पर बदस्तुर काफी समय से चालु है। किन्तु तहसीलदार सिकराय ने बिना कोई प्रस्ताव पारित किये ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त भूमि सिवायचक को आबादी में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 को बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 389, 385, 181, 497/1 कुल किता 4 रकबा 17 बीघा ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित है, जो कि सिवायचक लगानी थी तथा उक्त भूमि में होकर आम रास्ता मौजूद है जिसमे होकर अपीलान्ट आवागमन कर रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने बिना कोई मौके की जांच कराये अवैधानिक रूप से उक्त भूमि को आबादी में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार सिकराय द्वारा आबादी करने से पूर्व विधिवत रूप से नोटिस जारी किया जाना चाहिये था तथा मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया जाकर कोई आदेश पारित किया जाना चाहिये था, किन्तु तहसीलदार सिकराय ने बिना कोई नोटिस जारी किये व बिना कोई प्रस्ताव पारित किये उक्त आराजी को आबादी में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिये जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त सिवायचक भूमि में होकर अपील की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता काफी वर्षो से मौजूद है। जिसमें होकर अपील आवागमन कर अपने खेतो तक पहुंचता है। प्रश्नगत आदेश से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है एवं धारा 96 सीपीसी के तहत एग्रीव्ड पर्सन होने के कारण अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर अपीलान्ट के आवागमन में बाधा उत्पन्न की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा पूछने पर पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त सिवायचक आराजी को आबादी भूमि अंकित कर दिया गया है। जिस पर अपीलान्ट ने नकल हेतु आवेदन पेश किया जिसकी दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

14.07.2014 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने पर जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय का आदेश दिनांक 17.06.1975 को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 385 के नये नम्बर 913 रकबा 0.13 है. है जो आबादी भूमि है। उक्त भूमि का आबादी का नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 17.06.1975 तहसीलदार सिकराय द्वारा भरा गया है। 1975 में भरे गये नामान्तरकरण की अपील लगभग 39 वर्ष बाद पेश की गई है। इतने अत्यधिक विलम्ब से अपील पेश किये जाने का कोई उचित कारण भी व्यक्त नहीं किया गया है। इसलिये अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उक्त आबादी भूमि के नामान्तकरण से अपीलान्ट को कोई नुकसान नहीं है। उक्त भूमि में पाटोल व घर बना हुआ है। जिसमे होकर अपीलान्ट रास्ता निकलवाना चाहते है तथा रास्ते का नामान्तरकरण भरवाना चाहते है। अपील सिंगल पर्सन द्वारा की गई है। आम जनता की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। उक्त भूमि को आबादी भूमि मानकर ही एक दीवानी वाद संख्या 27/2020 राजेश बनाम सरदार वगैरा न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय जिला दौसा में भी पेश किया गया है जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि 17.06.1975 के नामान्तरकरण की अपील 2014 में की गई है। इतने अधिक विलम्ब के लिये कोई औचित्यपूर्ण तथ्य अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का दुब्बी की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2020 के अनुसार ग्राम रेटा की मुताबिक जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2073–76 के साबिक खसरा नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 327 रकबा 0.62 है. गैर मुमकिन आबादी में मौके पर रास्ता आबादी, बाडा, पडत है। साबिक खसरा नम्बर 181/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर 328 रकबा 0.58 है. बंजड(सिवायचक) जो आबादी पडत रास्ता व बाडा के काम आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 389/1 रकबा 4 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर 751 रकबा 0.05 है. गैर मुमकिन रास्ता एवं खसरा नम्बर 389/2 रकबा 3.17 बीघा साबिक के नवीन खसरा नम्बर 753 रकबा 0.97 है. गैर मुमकिन आबादी जो कि रास्ता आबादी, बाडा के काम आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 495 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 905 रकबा 0.81 है. गैर मुमकिन आबादी में सी.सी. रोड कुछ कच्चा रास्ते के काम में आ रहा है। साबिक खसरा नम्बर 497/1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 908 रकबा 1.14 है. किस्म चाही–2 जो कि रामधन पुत्र प्रभातीलाल जाति बैरवा सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो मौके पर वर्तमान में खाली है। साबिक खसरा नम्बर 497/7 रकबा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 913 रकबा 0.13 है. गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमे मौके पर गैर मुमकिन चाह पक्का बना हुआ है जो मौके पर पडत पडा हुआ है इस नम्बर में कोई आबादी नहीं बसी हुई है। मौके पर गैर मुमकिन चाह बना हुआ है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित खसरा नम्बर 389, 385 एवं 497/1 में आबादी मानते हुये गैर मुमकिन आबादी का नामान्तरकरण भरा गया है। जबकि मौके पर कहीं– कहीं रास्ता होना तथा आबादी बसी हुई नहीं होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 17.06.1975 ग्राम रेटा तहसील सिकराय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण व सम्बान्धित भूमि का स्वयं मौका एवं रिकॉर्ड की जांच कर एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई व सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा